

MRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] No. 261] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2003/चैत्र 3, 1925 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2003/CHAITRA 3, 1925

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2003

का.आ. 310(अ).—वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का XXXIII) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 1951 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :--(1) इन नियमों को वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 2003 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ते) नियम, 1951 के नियम 3 में उप-नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
- ''(7) यदि किसी सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्नलिखित में किसी भी विकल्प का प्रयोग कर सकता है.
- (क) भारत सरकार के सचिव का वेतन, (सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में न्यून पेंशन) महंगाई भत्ता तथा परिलब्धियों का आहरण तथा राज्य मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त करेगा, अथवा
- (ख) राज्य मंत्री के संबंध में लागू वेतन, दैनिक भत्ता, परिलब्धियों का आहरण तथा प्रास्थिति (तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में बिना महंगाई राहत के पेंशन) का उपयोग करेगा।''

[फा. सं.10(14)-बी (एस)/2002]

धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2003

- S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951, (XXXIII of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951, namely:—
- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Finance Commission (Salaries and Allowances) Amendment Rules, 2003.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Finance Commission (Salaries and Allowances) Rules, 1951, in rule 3, after sub-rule(b), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(7) If a Member is given the rank of a Minister of State, he may exercise the following options, either:—
 - (a) to draw pay (less pension in case of retired officials), dearness allowance and perquisites of a Secretary to the Government of India and status of Minister of State; or
 - (b) to draw pay, daily allowance, perquisites and status applicable to a Minister of State (plus pension without dearness relief in case of retired officials)".

[F. No. 10(14)-B(S)/2002]
D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)